दिल्ली उच्च न्यायालयः नई दिल्ली

<u>सुरक्षित :13 फरवरी 2024</u>

<u>उद्घोषित :26 फरवरी 2024</u>

रि.या.(सि.) 75/2024

संजीव कुमार मिश्रा ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री राहुल बजाज, अधिवक्ता

बनाम

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री मोनिका अरोड़ा, सीजीएससी के लिए श्री सुभ्रोदीप साहा और श्री कुशल

कोरमः

माननीय श्री न्यायाधीश सी. हरि शंकर

<u>निर्णय</u>

26.02.2024

मुद्दा

1. याचिकाकर्ता एक दृष्टिबाधित छात्र है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में समाजशास्त्र में एम.ए कर रहा है। 23 नवंबर 2022 को एम.ए.

पाठ्यक्रम में दाखिल होने के बाद से उन्हें कोई छात्रावास आवंटित नहीं किया गया है। इसलिए उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें मांग की गई है कि उन्हें छात्रावास प्रदान किया जाए।

तथ्य

2. 1 अगस्त 2017 को याचिकाकर्ता को जेएनयू में जर्मन में एक संयुक्त पाँच वर्षीय बी.ए./एम.ए. कार्यक्रम में दाखिल कराया गया था। याचिकाकर्ता 26 नवंबर 2020 को जेएनयू में कार्यक्रम पूरा किए बिना बीच में ही चला गया। हालाँकि, चूंकि उन्होंने तीन साल पूरे कर लिए थे इसलिए उन्हें जर्मन में बी.ए. की डिग्री से सम्मानित किया गया।

3. याचिकाकर्ता को अपने बी.ए पाठ्यक्रम के दौरान कावेरी छात्रावास में एक कमरा आवंटित किया गया था जिसमें वह रहता था।

4. 1 दिसंबर 2020 को याचिकाकर्ता को जेएनयू में राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन [एम.ए. (पीआईएसएम)] में विशेषज्ञता के साथ एम.ए. कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। जेएनयू का तर्क है कि चूंकि उस समय कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी इसलिए याचिकाकर्ता को छात्रावास रखने की अनुमति दी गई थी।

5. 5 अगस्त 2021 को जब याचिकाकर्ता अपना एमए (पीआईएसएम) पाठ्यक्रम कर रहा था तब याचिकाकर्ता को साबरमती छात्रावास में एक कमरा आवंटित किया गया था जो विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता से पीड़ित छात्रों के लिए है। नतीजतन, 15 सितंबर 2021 को जेएनयू ने याचिकाकर्ता को कावेरी छात्रावास में अपना कमरा खाली करने और साबरमती छात्रावास में उन्हें आवंटित कमरे में स्थानांतरित करने हेतु लिखा। इस पत्र का रिट याचिका में कोई उल्लेख नहीं है। हालाँकि, रिट याचिका में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता को साबरमती छात्रावास में एक कमरा आवंटित किया गया था लेकिन वह कावेरी छात्रावास में ही रहे। जेएनयू ने इसे दिनांक 15 सितंबर 2021 के अधिसूचना में निहित निर्देशों की अवहेलना बताया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री राहुल बजाज कहते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि याचिकाकर्ता को फ्रैक्चर हुआ था। उस पर कुछ भी ज़्यादा नहीं होता है।

6. याचिकाकर्ता ने एम.ए. (पीआईएसएम) पाठ्यक्रम पूरा होने तक कावेरी छात्रावास में अपना कमरा बनाए रखा। चूंकि उन्होंने अपना कमरा खाली नहीं किया था, इसलिए 2 नवंबर 2022 को याचिकाकर्ता को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 3 नवंबर 2022 को याचिकाकर्ता को कावेरी छात्रावास के कमरे से बेदखल कर दिया गया था।

7. 23 नवंबर 2022 को याचिकाकर्ता को जेएनयू में अपने तीसरे पाठ्यक्रम में दाखिल कराया गया था जो समाजशास्त्र में एम.ए. था।

8. याचिकाकर्ता द्वारा उस संबंध में अनुरोध किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता को उक्त पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद कोई छात्रावास नहीं दिया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने इन परिस्थितियों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद, "आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सौंपे गए मुख्य विकलांग आयुक्त (सीसीपीडब्ल्यूडी) के समक्ष शिकायत दर्ज की। इस शिकायत में याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 23 नवंबर 2022 को एम.ए. (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद याचिकाकर्ता को छात्रावास देने में जेएनयू की ओर से विफलता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 16 का व्यतिक्रम है। इसलिए, सीसीपीडब्ल्यूडी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि स्थिति को जल्द से जल्द ठीक किया जाए।

10. मैं यह करता हूं कि हालांकि जेएनयू ने वर्तमान रिट याचिका के अपने जवाबी शपथ-पत्र में याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में 31 अगस्त 2023 को पारित एक विस्तृत और सकारण आदेश का उल्लेख किया है लेकिन कहा गया है कि आदेश अभिलेख पर नहीं आया है।

11. जेएनयू ने सीसीपीडब्ल्यूडी को 29 अगस्त 2023 को दिए गए अपने जवाब में जेएनयू के साथ एक छात्र के रूप में याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में कई आरोप लगाए जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी-शपथ पत्र में भी दोहराया गया है। यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता एक परेशानी पैदा करने वाला और आदतन शिकायतकर्ता था जो जेएनयू के वार्डन और कर्मचारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाता था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन आरोपों की याचिकाकर्ता के छात्रावास आवास देने के अधिकार, यदि कोई हो तो के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए वे वर्तमान निर्णय में संदर्भित किए जाने के भी योग्य नहीं हैं। यदि याचिकाकर्ता इतना परेशानी पैदा करने वाला था, तो न्यायालय यह समझने में विफल रहती है कि उसके खिलाफ कोई सुधारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए गए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लागू नियमों, विनियमों, अध्यादेशों और कानूनों के अधीन रहते हुए इस संबंध में जेएनयू का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह न्यायालय इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है।

12. प्रासंगिक तथ्यों को स्वीकार करते हुए, जेएनयू ने सीसीपीडब्ल्यूडी को अपने जवाब में कहा कि जेएनयू छात्रावास नियमावली के प्रावधान याचिकाकर्ता को छात्रावास में रहने का अधिकार नहीं देते हैं क्योंकि वह दूसरे परास्नातक स्तर का पाठ्यक्रम कर रहा था। यद्यपि प्रत्युत्तर में छात्रावास नियमावली के संगत उपबंधों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथापि जेएनयू ने रिट याचिका के प्रति अपने

जवाबी शपथपत्र में इन उपबंधों की पहचान उक्त नियमावली के छात्रावास नियमावली के खंड 2.1.1 और उपाबंध X के खंड (5) के रूप में की है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

> **"2.1.1 पहली प्राथमिकता**
>
> (क) पूर्णकालिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र जिन्होंने दिल्ली के बाहर के स्थानों से अपनी अर्हरता परीक्षा उत्तीर्ण की है और दिल्ली के निवासी नहीं हैं, सिवाय उन लोगों के जो उस स्तर पर एक प्रोग्राम में प्रवेश लेते हैं जिस पर छात्र के पास पहले से ही डिग्री है या उसने छात्रावास के साथ उसी स्तर पर जेएनयू में पढ़ाई की है।"
>
> "(5) पी-III श्रेणी के छात्रों को छात्रावास का आवंटन।
>
> प्रत्येक वर्ष दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में अध्ययन कर चुके बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, जो केन्द्रों/विद्यालयों के विभिन्न प्रोग्रामों में दाखिल हुए हैं, छात्रावास के लिए आवेदन करते हैं। न्यूनतम प्राथमिकता (पी-III श्रेणी) के अंतर्गत आने वाले ये छात्र भी छात्रावास की मांग कर रहे हैं। चूंकि छात्रावास सीटों की भारी कमी है इसलिए यह प्रस्ताव है कि अब से पी-III श्रेणी के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से छात्रावास आवास नहीं दिया जाएगा; जिससे संभावित आवेदकों को अपना अध्ययन जारी रखने के लिए पर्याप्त अग्रिम सूचना मिलती है|

13. चूंकि सीसीपीडब्ल्यूडी के समक्ष दायर शिकायत का कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला था, इसलिए याचिकाकर्ता ने 29 अक्टूबर 2023 को शिकायत पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है। रिट याचिका में प्रार्थना खंड इस प्रकार है:

> "उपरोक्त में, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रसन्न होगा:-
>
> क) एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने में जिसमें याचिकाकर्ता को छात्रावास प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को निर्देश देना शामिल है।
>
> ख) एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जो प्रत्यर्थी सं. 1 संस्थान में दूसरी बार परास्नातक करने वालों को छात्रावास प्राप्त करने से अयोग्य घोषित करने के लिए छात्रावास नियमावली को संशोधित करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को निर्देशित करे और एक अर्हरता शामिल करें कि यह नियम विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
>
> ग) एक उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करें जो याचिकाकर्ता को उसके पाठ्यक्रम के पहले तीन सत्र के लिए छात्रावास से इनकार करने के परिणामस्वरूप हुई मानसिक पीड़ा और दर्द के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 को 10,00,000/- रूपए का मुआवजा देने का निर्देश देता हो।
>
> घ) प्रार्थना क और ख के विकल्प में, मामले को प्रत्यर्थी सं. 3 संस्था को भेजें और उसे समयबद्ध तरीके से मुद्दे का

निर्णय करने का निर्देश दें और प्रत्यर्थी सं. 1 को प्रत्यर्थी सं. 3 के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दें।

ङ) कोई अन्य रिट आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।"

14. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल बजाज और जेएनयू के विद्वान अधिवक्ता श्री सुभ्रोदीप साहा को विस्तार से सुना है।

प्रतिद्वंद्वी प्रतिविरोध

<u>याचिकाकर्ता की ओर से श्री राहुल बजाज का प्रस्तुतीकरण</u>

15. श्री बजाज के तर्कों में, याचिकाकर्ता को किराए-मुक्त छात्रावास देने के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित करते हैं।

16. श्री बजाज का कहना है कि याचिकाकर्ता को हॉस्टल में रहने की सुविधा देने से जेएनयू द्वारा इंकार करना हॉस्टल नियमावली के उपाबंध X के खंड (3) का उल्लंघन है जिसमें 15 नवंबर 2012 को कुलपति द्वारा अनुमोदित टिप्पणी शामिल है जो इस प्रकार है:-

"(3) सभी पीएच श्रेणी के छात्रों को छात्रावास सुविधा का आवंटन।

इसके अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत आरक्षण के विपरीत, केंद्रों/स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिल होने वाले विकलांग छात्रों के प्रतिशत की परवाह किए बिना, सभी शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को छात्रावास आवास आवंटित किया जाता है। इसलिए, पी-I, पी-II और पी-III श्रेणियों के तहत सभी पीएच छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2012-2013 के दौरान छात्रावास दिया गया है।"

17. श्री बजाज धारा 161 के खंड (iii) [इसके बाद "16 (iii)"] पर भी निर्भर करते हैं जिसे धारा 2 के खंड (म) में निहित "उचित आवास" की परिभाषा के साथ पढ़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि "अपेक्षित आवास से इनकार" आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2(ज) के अर्थ के भीतर "भेदभाव" के बराबर है। इस प्रकार, अपने एम.ए (समाजशास्त्र) कार्यक्रम में शामिल होने के बाद याचिकाकर्ता को छात्रावास प्रदान नहीं करके, श्री बजाज ने प्रस्तुत किया कि जेएनयू ने स्पष्ट रूप से आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 16(iii) का व्यतिक्रम किया है।

18. श्री बजाज ने मुझे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की खंड 3 की उप-खंड (2) और (5) के बारे में भी बताया है। वह प्रस्तुत करते हैं कि खंड 3(5) द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आवास सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उपयुक्त सरकार पर डाली गई है जिसे *"उपयुक्त वातावरण"* प्रदान करके विकलांग

व्यक्तियों की क्षमताओं का उपयोग करने की भी आवश्यकता है। श्री बजाज प्रस्तुत करते हैं कि धारा 3(2) के *माध्यम* से "उपयुक्त वातावरण" में छात्रावास आवास शामिल होगा। श्री बजाज के अनुसार जेएनयू द्वारा एमए (समाजशास्त्र) पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उचित आवास प्रदान करने का अधिकार भी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(1) और (2) के आधार पर याचिकाकर्ता को उपलब्ध है। इसके अलावा, वह प्रस्तुत करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की खंड 18, जो भी लागू होती है, उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों से वयस्क शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और *अन्य लोगों के साथ समान रूप से* शैक्षिक कार्यक्रम को जारी रखने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकलांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, वे प्रस्तुत करते हैं, इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता जैसे विकलांग व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ समान रूप से जेएनयू में अध्ययन करते समय छात्रावास आवास प्रदान करने की आवश्यकता है।

19. अपनी दलीलों के समर्थन में श्री राहुल बजाज ने ***विकास कुमार बनाम यूपीएससी*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 41, 42 से 44, 46, 48, 57, 58, 60 से 62 और 65 पर भरोसा किया है। उन्होंने ***राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 12 और 13 तथा ***ललित***

बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अनुच्छेद 16 पर भी निर्भर किया है। उन्होंने ***पाटन जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया है।

20. इन निर्णयों के आधार पर श्री बजाज ने प्रस्तुत किया कि जेएनयू के लिए यह तर्क देना कोई बचाव नहीं है कि वे विकलांग छात्रों को कई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे थे या यह कि जेएनयू में दूसरे परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र के खिलाफ हॉस्टल आवास प्रदान करने पर प्रतिबंध सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

21. श्री बजाज ने आगे इस आशय का बचाव करते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता का आवासीय पता विकास पुरी में है, विकास पुरी जेएनयू से 21 कि.मी. दूर है और एक छात्र के रूप में जो 100% दृष्टिबाधित है, याचिकाकर्ता के लिए विकासपुरी से जेएनयू तक दैनिक आवागमन असंभव है। इसलिए जेएनयू द्वारा यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास है।

22. श्री बजाज ने अंततः ***अक्षांश गुप्ता बनाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग*** में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 23 से 27 और ***जेपी रविदास बनाम***

नवयुवक हरिजन उत्पन मल्टी यूनिट इंडस्ट्रियल कॉपरेशन सोसाइटी लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 5 से 7 पर निर्भर किया है।

<u>जेएनयू की ओर से श्री सुभ्रोदीप साहा की प्रस्तुतियाँ</u>

23. श्री बजाज द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, श्री सुभ्रोदीप साहा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को छात्रावास आवास से इनकार करना दूसरे परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन के परिणामस्वरूप, जेएनयू हॉस्टल नियमावली के खंड 2.1.1(क) के अनुसार सख्ती में था जिसमें उन छात्रों को शामिल नहीं किया गया था जिन्होंने दिल्ली के बाहर के स्थानों से अपनी अर्हरता परीक्षा पूरी की थी और छात्रावास के हकदार नहीं थे, अगर उनके पास पहले से ही डिग्री थी या वे जेएनयू में उसी स्तर पर पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हॉस्टल आवास था। श्री साहा के अनुसार यह अपवाद याचिकाकर्ता पर लागू होता है और इसलिए, याचिकाकर्ता छात्रावास की मांग करने का हकदार नहीं था।

24. इसके अतिरिक्त, छात्रावास नियमावली के संलग्नक X में खंड 3 भी पी-III श्रेणी के छात्रों को छात्रावास से अलग करता है। यह अपवाद याचिकाकर्ता पर भी लागू होता है।

25. श्री साहा प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक 49 वर्षीय व्यक्ति है जो जेएनयू के साथ अपना तीसरा परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम कर रहा है। वह प्रस्तुत

करते हैं कि उन छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाओं की उपलब्धता को सीमित करने में सार्वजनिक हित का एक भारी तत्व शामिल है जो बार-बार जेएनयू से एक के बाद एक परास्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने मौखिक बहस के दौरान इस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया है लेकिन जेएनयू के जवाबी-शपथपत्र में इस घटना को किरायेदारी को बरक़रार रखने के रूप में संदर्भित किया गया है।

26. श्री साहा प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता जैसे छात्र को एक के बाद एक परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चुनकर अपने छात्रावास को स्थायी रूप से बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो इसके परिणामस्वरूप समान रूप से व्यथित व्यक्ति, समान शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित होंगे, छात्रावास पाने में समर्थ नहीं होंगे। जेएनयू का उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक वातावरण से अधिकतम संपर्क सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जेएनयू ने नियम के अनुसार जेएनयू में द्वितीय स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाले छात्र को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी है।

27. श्री साहा ने आश्वासन दिया कि कोई भी व्यक्ति, जो दृष्टि बाधित नहीं है उसे याचिकाकर्ता से वरीयता में कमरा आवंटित किया जाएगा और जिस कमरे से उसे बेदखल किया गया था, वह भी केवल शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा।

28. जहां तक आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का संबंध है, श्री साहा प्रस्तुत करते हैं कि जेएनयू ने अपने जनादेश को पर्याप्त रूप से पूरा किया है क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए उचित आवास उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि जेएनयू के लिए उन सभी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए आवास प्रदान करना असंभव हो सकता है जो अपने परिसर के भीतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और यदि ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो इसे किसी भी तरह से आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

29. श्री साहा ने आगे कहा कि चूंकि खंड 2.1.1.(क) सभी विकलांग छात्रों पर समान रूप से लागू होता है इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में, श्री साहा ने ***जीजा घोष बनाम भारत संघ*** और ***अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ*** के निर्णयों पर निर्भर किया है।

30. श्री साहा का कहना है कि याचिकाकर्ता के निजी हित को छात्रों के लिए छात्रावास आवास की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के व्यापक सार्वजनिक हित के आगे झुकना होगा। इस प्रक्रिया में, यदि व्यक्तिगत असुविधा होती है तो यह न्यायालय के समक्ष परमादेश रिट करने का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में वह दोहराते हैं कि याचिकाकर्ता बिना निवास के नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था, वह विकासपुरी में रहता है।

<u>प्रत्युत्तर में श्री बजाज की प्रस्तुतियाँ</u>

31. प्रत्युत्तर में, श्री बजाज केवल दो तथ्यों का आग्रह करते हैं। पहला यह है कि शारीरिक अक्षमता से पीड़ित छात्रों के संबंध में जेएनयू द्वारा कोई अनुभवजन्य डेटा प्रदान नहीं किया गया है, जो छात्रावास में रहने की प्रतीक्षा कर रहे थे और जिनका याचिकाकर्ता से बेहतर अधिकार था।

32. दूसरा, वह प्रस्तुत करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के आदेश और न्यायिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर जिस पर उन्होंने निर्भरता रखी है, याचिकाकर्ता को छात्रावास से इनकार करने के आधार के रूप में जेएनयू द्वारा संसाधन बाधाओं का हवाला नहीं दिया जा सकता है।

विश्लेषण

प्रारंभिक टिप्पणी

33. जैसा कि श्री राहुल बजाज कहते हैं, पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों से व्यवहार करने का प्रतिमान विशिष्ट और अलग है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांग व्यक्ति आपसे या मुझसे अलग नहीं हैं। ज्ञात और अज्ञात रूप में, हम में से हर कोई किसी न किसी तरह से विकलांग है। फिर भी, हम सभी को एकजुट हो मानव के रूप में कार्य करना होगा। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और सभी कानून जो किसी विकलांग व्यक्ति को सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं केवल विकलांगता को बेअसर करने का प्रयास करते हैं ताकि व्यक्ति की योग्यता

उसके बाकी साथियों की योग्यता से मेल खा सके और वे एक समान आधार पर खड़े हों। यह समान अवसर के सिद्धांत का मूल है जो अनुच्छेद 14 और वास्तव में समग्र रूप से संविधान में व्याप्त है। यही कारण है कि उपयोग करने के लिए अक्षम के बजाय "दिव्यांग" शब्द उपयोग करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। जो व्यक्ति दिव्यांग हैं, वे हमारे समान ही समर्थ हैं; हालाँकि, उनकी योग्यता *भिन्न* होने के कारण, जब वे संपूर्ण सामाजिक रूप से एकीकृत होने की कोशिश करते हैं, तो यह चुनौती बन जाता है। यह वह *अंतर* है जिसे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम समाप्त करना चाहता है। अंतर से निपटने के लिए दिव्यांग व्यक्ति अब अलग रूप से सक्षम व्यक्ति नहीं रह जाता बल्कि सजातीय मानव समूह का हिस्सा बन जाता है। यह तब होता है जब योग्यता में अंतर को बेअसर किया जाता है, व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने में समर्थ होता है और अपनी जन्मजात प्रतिभाओं अथवा योग्यताओं को उनकी पूरी सीमा तक विकसित होता है। ऐसी स्थिति में, जिस व्यक्ति को अन्यथा विकलांग माना जाता था, वह अक्सर उस क्षेत्र में अपने अधिक काबिल साथियों के बराबर होता है, यदि श्रेष्ठ न भी हो, जिस क्षेत्र में वह अनुसरण करता है। श्री राहुल बजाज इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

34. समावेशिता और समाज की मुख्यधारा में एकीकरण की आवश्यकता, इस प्रकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का हर समय *उद्देश्य* है और अक्षमताओं को बेअसर करने हेतु पूरे आंदोलन में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों को इस

प्रचलित विचार के साथ सबसे आगे रखा जाना चाहिए। श्री बजाज अपनी प्रस्तुति में सही हैं कि अलग-अलग विकलांगों को उनके साथियों के साथ बराबर करने का कोई भी प्रयास संविधान के अनुच्छेद 14 का व्यतिक्रम है जो समान लोगों के बीच असमानता पर उतना ही प्रभाव डालता है जितना कि असमान लोगों के बीच समानता पर।

<u>खंड 2.1.1(क) छात्रावास की नियमावली</u>

35. इतनी दृढ़ता से तर्क देते हुए कि छात्रावास नियमावली का खंड 2.1.1(क) सभी पर समान रूप से लागू होता है इसलिए श्री साहा अनजाने में श्री बजाज के इस तर्क का समर्थन करते हैं कि खंड भेदभावपूर्ण है। एक प्रावधान, चाहे पूर्ण या अधीनस्थ कानून में या किसी भी उप-कानून अथवा दिशानिर्देश में लागू हो प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण हो सकता है या यह इसके कार्यान्वयन में सामने से न्यायसंगत लेकिन भेदभावपूर्ण हो सकता है। किसी भी मामले में, जहां तक कि प्रावधान इस तरह के भेदभावपूर्ण कार्यान्वयन की अनुमति देता है, यह अपने आप में भेदभावपूर्ण हो जाता है। खंड 2.1.1(क) जैसा कि श्री बजाज मानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से न्यायसंगत है क्योंकि यह सभी पर समान रूप से लागू होता है *लेकिन, खंड को दिव्यांग और उनके समकक्षों के लिए समान रूप से लागू करने में, प्रावधान इसके संचालन या कार्यान्वयन में भेदभावपूर्ण हो जाता है।*

36. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, जेएनयू द्वारा अपनाए जा रहे रुख के आधार पर भी, खंड 2.1.1(क) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह खंड उन पूर्णकालिक प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले "छात्रों पर लागू होता है, जिन्होंने दिल्ली के बाहर के स्थानों से अपनी अर्हरता परीक्षा उत्तीर्ण की है और *दिल्ली के निवासी नहीं हैं*। जेएनयू का अपना मामला है कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के विकास पुरी का निवासी है। फलस्वरूप, खंड 211 (क) का कोई आवेदन नहीं है।

37. खंड 211(क) में अपवाद खंड केवल वहीं लागू हो सकता है जहां मामला अन्यथा खंड के मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। चूंकि खंड 211(क) का मुख्य भाग लागू नहीं होता है, इसलिए खंड 211(क) में निहित अपवाद पर भरोसा करके याचिकाकर्ता के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है।

<u>छात्रावास नियमावली के संलग्नक X में खंड (5)</u>

38. न ही जेएनयू, हॉस्टल नियमावली के अनुलग्नक X के खंड (5) की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम, किसी भी पक्ष ने पी-I, पी-II और पी-III श्रेणियों को परिभाषित करने वाला कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। खंड (5) विशेष रूप से श्रेणी पी-III में छात्रों को शामिल करता है। यह जाने बिना कि पी-III में कौन सी श्रेणी शामिल है, खंड की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना स्पष्ट रूप से असंभव है।

39. *प्रथम दृष्टया,* हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणी पी-III उन छात्रों पर लागू होती है *जिन्होंने दिल्ली/एनसीआर में पढाई की है* और जेएनयू में प्रवेश लिया है। ऐसे मामलों में, यह खंड छात्रों को कम प्राथमिकता श्रेणी में रखता प्रतीत होता है, शायद इसलिए कि उनके पास दिल्ली में रहने के अन्य साधन हैं, जिन्होंने जेएनयू में प्रवेश प्राप्त करने से पहले दिल्ली में अध्ययन किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले में, दिल्ली के भीतर उसका पूरा अध्ययन जेएनयू में रहा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता*, प्रथम दृष्टया,* खंड (5) के भीतर नहीं आ सकता है।

<u>यह मानते हुए कि संलग्नक X में खंड 2.1.1(क) और खंड (5) लागू थे</u>

40. यह कहे जाने पर भी, श्री साहा इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहे कि खंड 2.1.1. छात्रावास नियमावली और उसके संलग्नक X के खंड (5) को उन छात्रों पर लागू नहीं किया जा सकता है जो दिव्यांग हैं क्योंकि ऐसा करना उनके साथ सक्षम (श्री राहुल बजाज द्वारा नियोजित सम्मानित अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए) छात्रों के समान व्यवहार करने के बराबर होगा, जिसके परिणामस्वरूप असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।

41. याचिकाकर्ता के जैसे मामले में, भले ही, यह मान लिया जाए कि हॉस्टल नियमावली के अनुलग्नक X में खंड 2.1.1 या खंड (5) में से कोई एक या दोनों लागू होंगे, जेएनयू उक्त खंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता को छात्रावास की पेशकश

करने से अस्वीकार कर सकता था, अगर जेएनयू सकारात्मक रूप से स्थापित कर सकता है कि *उस तारीख को जब याचिकाकर्ता को समाजशास्त्र में एमए पाठ्यक्रम में दाखिल कराया गया था अर्थात 23 नवंबर 2022 को तो याचिकाकर्ता के प्राथमिकता में वरिष्ठ दिव्यांग छात्र, उस तारीख को सभी उपलब्ध खाली कमरों के खिलाफ समायोजित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।* जेएनयू ने इस तरह के किसी मामले की पैरवी करने का प्रयास भी नहीं किया है ।

42. जेएनयू उसी स्तर का कोर्स कर रहे छात्रों– जैसे परास्नातक– जेएनयू के साथ दूसरी बार पढ़ाई कर रहे छात्रों और "नए" छात्रों के बीच जो अंतर करना चाहता है, उसका इसे बनाए रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है। दोनों विद्यार्थी हैं। जेएनयू में पहले से पढ़ाई कर चुके दिव्यांग छात्रों और पहली बार पढ़ाई कर रहे छात्रों के बीच यह *"अंतर"* अगर कोई है, तो इसका इस उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है कि जेएनयू में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र के पास रहने की जगह हो। कोई भी अंतर, भले ही बोधगम्य हो, जिसका संबंधित व्यवस्था के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध नहीं है, चाहे वह विधायी हो या कार्यकारी, अनुच्छेद 14 की जांच को बनाए नहीं रख सकता है। एक छात्र जो जेएनयू के साथ दूसरा परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम कर रहा है जो पहले से ही एक डिग्री पूरा कर चुका है, वह उतना ही छात्र के रूप में रहने के लिए जगह का हकदार है जितना पहली बार जेएनयू में दाखिल हो रहा छात्र होता है। एक की जरूरतों को दूसरे की जरूरतों के लिए त्यागा

नहीं जा सकता है। किरायेदारी को बरकरार रखने की अवधारणा एक काल्पनिक और अस्पष्ट अवधारणा है जिसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। इस मामले में निजी और सार्वजनिक हित के बीच इसलिए कोई टकराव पैदा नहीं होता है।

43. छात्रावास नियमावली के अनुलग्नक X में खंड 2.1.1(क) या खंड (5) की कोई अन्य व्याख्या प्रावधानों में बदलाव करेगी, इसके अतिरिक्त, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के साथ-साथ श्री राहुल बजाज और पूर्वोक्त में दिए गये उद्धृत उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो दिव्यांगजनों को उचित आवास प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते है उनका भी उल्लंघन करेगी|

<u>आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम</u>

44. शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करने की आवश्यकता ***न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित प्रकार से रेखांकित की गई है:-

> *"**24.** हमने कुछ प्रावधानों का उल्लेख केवल इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि *2016* का अधिनियम अधिनियमित किया गया है और इसकी कई मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि हम पाते हैं, दिव्यांगजनों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और अधिक श्रेणियां जोड़ी गई हैं। इसके अलावा,*

न्याय तक का रास्ता, *मुफ्त शिक्षा,* स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका, राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य कोष बनाया गया है। 2016 का अधिनियम उल्लेखनीय रूप से धारणा में एक बड़ा बदलाव है और दिव्यांगजनों और राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों की भूमिका के संबंध में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अधिनियम एक व्यापक वर्णक्रम में काम करता है और अधिकारों की रक्षा करने और उनके उल्लंघन के लिए सजा देने पर जोर देता है।"

45. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5 प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को "समुदाय में रहने का अधिकार" की गारंटी देती है। "समुदाय में रहते हैं" अभिव्यक्ति विस्तृत व व्यापक है और इसमें अपने आप में आरामदायक, सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत अस्तित्व के सभी पहलू शामिल हैं जिसमें सभी सुविधाओं, आराम और एक संतोषप्रद और पूर्ण भूमि पर स्वामित्व के संकेत की क्षमता और पात्रता है। स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य साधारण और दिव्यांगजनों के बीच पूर्ण समानता सुनिश्चित करना है।

46. खंड 16(iii) याचिकाकर्ता के मामले को स्पष्ट रूप से ठोस बनाती है। यह प्रावधान प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को, जो उपयुक्त सरकार द्वारा वित्त पोषित या *मान्यता* प्राप्त है- जिसमें, इसलिए, जेएनयू शामिल होगा- प्रत्येक भिन्न रूप से सक्षम छात्र को व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करने के

लिए बाध्य करता है। धारा 2(म) में उचित आवास की परिभाषा, विकलांग व्यक्तियों को *दूसरों के साथ समान रूप से* अधिकारों का आनंद या प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित संशोधनों और समायोजन को शामिल करती है। इस तरह के "आनंद" की प्रकृति में धारा 5(2)(ख) के संबंध में आवासीय स्थान के लिए प्रावधान शामिल होगा, जो सरकार पर सकारात्मक दायित्व डालता है। इसके दायरे के भीतर पढ़ने वाले छात्रों के लिए समानांतर दायित्व जेएनयू से जुड़ा होगा। इस मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय ने ***विकलांग अधिकार समूह बनाम भारत संघ*** में इस प्रकार देखा कि:-

> "15. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि विकलांग अधिनियम इस मौलिक विचार पर आधारित है कि समाज बाधाओं और दमनकारी संरचनाओं का निर्माण करता है जो विकलांग व्यक्ति की क्षमताओं को बाधित करता है। मार्था नुसबाम जैसे क्षमता सिद्धांतकारों की राय है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षमताओं का अलग समूह या क्षमताओं की अलग सीमा नहीं हो सकती है। यह एक समान अवसर का निर्माण करने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है *जिससे सभी नागरिकों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और कल्याण का अनुभव करने में सक्षम बनाने के लिए उचित अवसरों की समानता मिल सके। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए न केवल विकलांग व्यक्तियों को मूलभूत शिक्षा देना आवश्यक है बल्कि यह भी देखना अनिवार्य है कि ऐसी शिक्षा उन्हें फलदायी*

तरीके से प्रदान की जाए। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन भवनों तक उचित पहुंच हो जहां शैक्षणिक संस्थान स्थित है और साथ ही उक्त भवनों में भी जहाँ अन्य सुविधाओं, जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रसाधन हो। इसके बिना शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति *शैक्षिक अवसरों का पूर्ण रूप से* लाभ और उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे।"

(जोर दिया गया)

47. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त शैक्षिक अवसर का पूर्ण उपयोग अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। प्रत्येक सुविधा, जो छात्र को *शैक्षिक अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाने और उपयोग करने* में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, शैक्षिक संस्थान द्वारा आवश्यक रूप से प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा न करना आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम का स्पष्ट और साफ़ उल्लंघन है। कहने की जरूरत नहीं है कि संस्था के परिसर के भीतर रहने के लिए जगह का प्रावधान, संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है।

48. इस पृष्ठभूमि में यह वास्तव में विडंबना है कि जेएनयू इस तथ्य पर भरोसा करके अपने मामले का बचाव करने की कोशिश कर रहा है कि याचिकाकर्ता– 100% दृष्टिबाधित छात्र– के पास जेएनयू परिसर से 21 किमी दूर आवास है। यह प्रस्तुति आगे कोई टिप्पणी के योग्य नहीं है।

49. ***अवनि प्रकाश बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी*** में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार निर्णय दिया कि:-

> "समावेशी शिक्षा के अधिकार को उचित आवास के प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाता है। ***विकास कुमार*** के मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत *के केंद्र में* उचित आवास कि सुविधा है। पीडब्ल्यूडी के लिए उचित आवास से मना करना भेदभाव के बराबर है।"

50. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम किसी भी संस्थान को असंभव काम करने के लिए बाध्य नहीं करता है। कानून हमेशा तर्कसंगतता की ओर झुकता है। उदाहरण के लिए, यदि जेएनयू में दिव्यांग छात्रों की बाढ़ आ जाती और लोगों का आगमन इतना अधिक होता कि जेएनयू से सभी को आवास देने की अपेक्षा करना अनुचित होता तो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम सहित कोई भी कानून जेएनयू को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लेकिन, इसके लिए, जेएनयू को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के जनादेश के अनुपालन की असंभवता – या यहां तक कि अव्यवहारिकता– का मामला बनाने के लिए अनुभवजन्य डेटा को पेश करना होगा। ***विकास कुमार*** मामले के अनुच्छेद 78 में इस स्थिति को संदेह से परे स्पष्ट किया गया है:-

> "78. पार्टी का यह तर्क कि एक विशेष आवास एक अनुपातहीन या अनुचित बोझ लगाएगा जिसे उन्हें साबित करना होगा। और इस तरह का औचित्य वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, सीआरपीडी समिति ने माना है कि उचित आवास का आकलन पूरी तरह से और वस्तुनिष्ठ तरीके से, सभी प्रासंगिक तत्वों को आच्छादित करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किया जाना चाहिए कि संबंधित समर्थन और अनुकूलन तरीके राज्य पार्टी के लिए अनुपातहीन या अनुचित बोझ होंगे।

51. जेएनयू द्वारा ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा प्रदान नहीं किया गया है जो यह संकेत देता हो कि जेएनयू से याचिकाकर्ता को छात्रावास प्रदान करने की अपेक्षा करना अनुचित होगा। इस तरह के किसी भी डेटा के बिना, याचिका कायम नहीं रह सकती है।

52. यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों को जेएनयू छात्रावास नियमावली के सभी प्रावधानों पर व्यापक प्राथमिकता होगी। इसलिए, छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के प्रवर्तन को केवल तभी विधिसम्मत कहा जा सकता है जब यह आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप हो। जेएनयू को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत अपने दायित्वों और उस संबंध में विकसित कानून के बारे में अपने छात्रावास नियमावली के प्रावधानों को लागू करते

समय -या उस मामले के लिए, कोई अन्य कार्यकारी या प्रशासनिक निर्णय लेते समय पूरी तरह से सचेत रहना होगा।

<u>छात्रावास नियमावली के संलग्नक X में खंड (3)</u>

53. वास्तव में, याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से छात्रावास नियमावली के संलग्नक X में खंड (3) के भीतर आता है जो विकलांगों के लिए एक विशेष व्यवस्था है। यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि यदि छात्र शारीरिक रूप से विकलांग है तो चाहे वह जिस भी अन्यथा श्रेणी में आता है-पी-I, पी-II या पी-III- वह *वास्तव में* छात्रावास का हकदार होगा।

54. यह महत्वपूर्ण है कि जब याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करने के लिए छात्रावास नियमावली के संलग्नक X में खंड 2.1.1(क) और खंड (5) पर इतना व्यापक भरोसा करते हुए जेएनयू ने मौखिक तर्कों के दौरान या उनके लिखित प्रस्तुति में संलग्नक X में खंड (3) की प्रयोज्यता के बारे में एक भी प्रस्तुति को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना है। मेरे विचार में खंड पूरी तरह से लागू होता है। यह अपने शब्दों से, संलग्नक X में खंड (5) को हटा देता है क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सभी दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रावास की गारंटी देता है चाहे वे किसी भी श्रेणी में क्यों न आएं। इसलिए, जेएनयू अपने किसी भी दिव्यांग छात्र को छात्रावास में रहने से मना नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि खंड (3) का शीर्षक ही "*सभी* पीएच श्रेणी के छात्रों को छात्रावास सुविधा का आवंटन" है।

याचिकाकर्ता, निस्संदेह, "पी.एच. श्रेणी का छात्र" है। इसलिए, याचिका होटल नियमावली के संलग्नक X में खंड (3) के आधार पर भी सफल होने का हकदार है।

निष्कर्ष

55. इसलिए, याचिकाकर्ता समाजशास्त्र में अपने परास्नातक डिग्री पाठ्यक्रम को पूरा करने तक जेएनयू द्वारा अपने परिसर के भीतर प्रदान किए गए छात्रावास के लिए बिना किसी शुल्क के अन्य सभी अधिकारों के साथ दिव्यांग छात्र कानून और जेएनयू की नीतियों के तहत रहने का अधिकारी है।

56. जेएनयू को इस निर्णय की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

57. इसलिए याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है।

58. जुर्माने का कोई आदेश नहीं होगा।

न्या., सी. हरि शंकर,

26 फरवरी, 2024
वाईजी/डीएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*